कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

::विज्ञप्ति::

क्रमांक/10962/जिला नाजिर/2020 कोरबा, दिनांक– 21 /07/2020

सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छ0ग0) के अनुपयोगी वाहनों के इच्छुक क्रेता **दिनांक– 10/08/2020 दिन सोमवार को समय दोपहर 3:00 बजे** तक कार्यालय कलेक्टर कोरबा के कक्ष क्रमांक– 35 नाजिर शाखा में बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन सायंकाल 4:00 बजे कलेक्टर कार्यालय के **भू–तल कक्ष क्रमांक– 12 (श्री अजय उरांव, डिप्टी कले. कक्ष)** में निविदा खोली जावेगी। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

वाहनों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	ऑफसेट मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एम्बेसडर	सीजी 02 6767	47,000.00
2	टाटा स्पेसियो	सीजी 02 2923	52,500.00
3	टाटा स्पेसियो	सीजी 02 0110	63,500.00
4	टाटा स्पेसियो	सीजी 02 2926	69,000.00
5	टाटा सूमो	सीजी 02 2924	42,000.00

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में **"कलेक्टर कोरबा"** को संबोधित कर भेजी जावेगी। लिफाफे के ऊपर **"वाहन क्रमांक.................................... हेतु निविदा"** अंकित करना होगा तथा निविदाकार का आधारकार्ड एवं पेन कार्ड होना अनिवार्य है।
2. निविदाकार को निविदा आवेदन के साथ सुरक्षा निधि के रूप में कलेक्टर कोरबा के नाम पर देय रू. 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त वाहन कलेक्टर कार्यालय के पीछे पार्किंग में है, जिसका अवलोकन कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।
4. वाहन का ऑफसेट प्राईज/वेल्यू नीलामी की जा रही वाहन की सरकारी निविदा होगी, उससे अधिक का दर आने पर उच्चतम निविदाकार को क्रेता घोषित माना जा सकता है।
5. न्यूनतम तीन निविदा प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी की जावेगी। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
6. अंतिम एवं उच्चतम निविदा स्वीकार करने अथवा न स्वीकारने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला कोरबा का होगा।
7. प्रथम उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के बाद तीन दिवस के भीतर निविदाकार को सम्पूर्ण राशि अनिवार्यतः डी.डी. जमा कर वाहन जहाँ पर जैसी हालत में है, वहीं से उठाना होगा।

क्रमशः 2..

Scanned with CamScanner

8. प्रथम निविदादाता तीन दिवस के भीतर सम्पूर्ण निविदा राशि जमा करने मे असफल रहता है, तो द्वितीय निविदादाता द्वारा तीन दिवस के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। द्वितीय निविदादाता तीन दिवस के भीतर सम्पूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल रहता है, तो तृतीय निविदादाता द्वारा तीन दिवस के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार तीन दिवस मे निविदा राशि जमा न करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. क्रेता परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करेगा। किसी भी परिस्थिति में शासकीय वाहन क्रमांक का उपयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।
10. उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के उपरांत यदि निविदाकार द्वारा निविदा की राशि तीन दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है तो उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. स्वीकृत निविदा की राशि जमा करने के बाद ही वाहन उठाने की अनुमति दी जावेगी।
12. अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में आवेदकों को पृथक से सूचना दी जावेगी।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला कोरबा का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/ 10963 /जिला नाजिर/2020 कोरबा, दिनांक– 21 /07/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
4. संचालक, महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद जनसंपर्क संचालनालय रायपुर (छ0ग0) को प्रकाशन हेतु, कृपया किसी दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. संभागीय आयुक्त, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर .... को सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कोरबा को सूचनार्थ। उक्त निविदा आमंत्रण सूचना को www.korba.gov.in में अपलोड करने हेतु।
8. जिला परिवहन अधिकारी, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (वि./यां.), कोरबा को सूचनार्थ।
11. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु प्रेषित।
12. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला–कोरबा (छ0ग0) की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ तथा समाचार की कतरन जिला कार्यालय कोरबा नाजिर शाखा को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
13. जिला कार्यालय कोरबा के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner